भारत सरकार

पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या. \*8**

 **दिनांक 24.11.2014 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**'kkSpky;ksa dk fuekZ.k fd, tkus dh ;kstuk**

**†\*8. Jh yky flag oMksfn;k%**

D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ ns'k esa vkt dh rkjh[k ds vuqlkj] fdrus ifjokjksa esa 'kkSpky; dh lqfo/kk ugha gS(

¼[k½ 'kkSpky;ksa dh O;oLFkk djus laca/kh ljdkjh ;kstuk dk C;kSjk D;k gS( vkSj

¼x½ ns'k esa lHkh ifjokjksa esa 'kkSpky;ksa dh O;oLFkk dc rd dj nh tk,xh\

**उत्‍तर**

**पेयजल और स्‍वच्‍छता मंत्री**

**(श्री बीरेन्‍द्र सिंह)**

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

**दिनांक 24.11.2014 को उत्‍तर दिए जाने के लिए राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या \*8 के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

(क) आधारभूत सर्वेक्षण, 2013 के मुताबिक, दिनांक 01.04.2014 की स्‍थिति के अनुसार 9.72 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास शौचालयों की सुविधा नहीं है।

(ख) दिनांक 2 अक्‍टूबर, 2014 को आरंभ किए गए नए स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) (एसबीएम (जी)) के अन्‍तर्गत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों और निर्धारित गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों अर्थात् सभी अनु.जाति/अनु.जनजाति, लघु और सीमान्‍त कृषकों, वासभूमि सहित भूमिहीन श्रमिकों, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला-प्रधान परिवारों के लिए 12,000 रू. का वित्‍तीय प्रोत्‍साहन अनुमत है।

(ग) स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्‍य 02.10.2019 तक समस्‍त ग्रामीण परिवारों के लिए शत प्रतिशत स्‍वच्‍छता सुविधा प्राप्‍त करना है।

\*\*\*\*